

**BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 627 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Danveer Singh & Ors.

.....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

.....Respondent(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance with the order dated 04.12.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi	1-3
2.	ANNEXURE-1 A true copy of the Joint Committee Report	4-29
3.	ANNEXURE-2 The detailed calculation sheet	30
4.	ANNEXURE-3 A true copy of the notices	31-35
5.	ANNEXURE-4 A true copy of the report of the Chief Fire Officer, Amroha	36-39
6.	ANNEXURE-5 A true copy of the chargesheet	40-41

THROUGH

DATE: 24.02.2026

PLACE: NEW DELHI



**STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034**

(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 627 OF 2025**

IN THE MATTER OF:

Danveer Singh & Ors.

.....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

.....Respondent(S)

**RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE
WITH THE ORDER DATED 04.12.2025 PASSED BY THE
HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI**


I, Girish Chandra Arya, aged about 40 Year S/o Shri Chandra Lal Arya, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as "UPPCB), Bijnor, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is working on the above-mentioned post and is the authorized officer in the captioned matter and well conversant with the facts and circumstances of the case and as such is well conversant to swear this affidavit.
2. That the present O.A. has been filed seeking compensation for death of the Applicant's family members in an explosion on 16.06.2025 at an illegal fire cracker factory situated at Gata no.221 Village Atrasi, District Amroha, Uttar Pradesh.

3. That a joint committee was constituted by the District Magistrate, Amroha which included the Regional Officer of UPPCB, Bijnor. The joint committee inspected the site in question on 09.02.2026. A true copy of the Joint Committee Report is annexed hereto and marked as **Annexure No. 1.**
4. That the firecracker factory was found closed during the joint inspection. It was informed by the Labour Department vide report dated 13.02.2026 that on 16.06.2025, an explosion at the firecracker factory in question had caused the deaths of 4 workers on the spot and one worker died during treatment.
5. That the Labour Department has determined the amount due as compensation to the heirs/ dependants of the deceased workers. The detailed calculation sheet is annexed hereto and marked as **Annexure No. 2.**
6. In order ensure due payment of the above amount to the dependents, notices have been sent to the employer by the Ld. Court of Employees Compensation Commissioner and Deputy Labour Commissioner, Moradabad Area District Panchayat Complex, Court Road, Moradabad. A true copy of the notices is annexed hereto and marked as **Annexure No. 3.**
7. The Chief Fire Officer, Amroha has also provided a report dated 12.02.2026 regarding the incident in question. A true copy of the report of the Chief Fire Officer, Amroha is annexed hereto and marked as **Annexure No. 4.**
8. A report dated 17.02.2026 was provided by the police authorities stating that an FIR No. 152/2025 dated 17.06.2025 had been registered regarding the explosion at P.S. Haja under Sections 288/125B/106 of BNS read with Section 9B of the Explosives Act against Saifur Rehman S/o Kesar Ahmad R/o 1248/02 Bhandra



Patta District Hapur. The accused was arrested and the process of cancellation of his licence for manufacturing fireworks has been initiated. Chargesheet No. 137/25 dated 02.08.2025 has been filed before the Hon'ble Court against the said accused under Sections 288/125B/105/106 BNS read with Section 9B of the Explosives Act. A true copy of the chargesheet is annexed hereto and marked as **Annexure No. 5.**



9. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

10. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has concealed therefrom.

G. C. Singh
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at *Bijnor*.....on this *24*..... day of *feb.* 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Sworn before me on this *24* day of the *feb* 2026
by *S. P. Singh*
who has been identified by *A. S. Khan*
who is personally known to me
whose signature (S) is/are here it appended.

G. C. Singh
DEPONENT

24/2/2026
Gajendra Pal Singh
NOTARY,
BIJNOR-246701 (U.P.)



Annexure No-1

दूरभाष व फ़ैक्स : (01342) 260434
ई-मेल :- robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर-चक्कर रोड, बिजनौर-248701

सन्दर्भ सं० : 14.33/PN-75/जनरल-2026

दिनांक : 19-02-2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-627/2025 Danveer Singh & Ors. Versus State of Uttar Pradesh and Ors. में पारित आदेश दिनांक-04.12.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-627/2025 Danveer Singh & Ors. Versus State of Uttar Pradesh and Ors. में पारित आदेश दिनांक-04.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या इस पत्र के साथ संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय


(डा० उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सुश्री स्थवी स्थाना, बोर्ड अधिवक्ता (ई-मेल sthaviasthan@gmail.com)।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-627/2025 Danveer Singh & Ors. Versus State of Uttar Pradesh and Ors. में पारित आदेश दिनांक-04.12.2025 के अनुपालन के संबंध में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-627/2025 Danveer Singh & Ors. Versus State of Uttar Pradesh and Ors. में पारित आदेश दिनांक-04.12.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् है :-

1. By this Original Application (OA), applicants have sought compensation for death of their family members in an explosion on 16.06.2025 at an illegal fire cracker factory situated at Gata no.221 Village Atrasi, District Amroha, Uttar Pradesh.
2. The applicant alleges that following five persons had died in the said accident:
"In the said explosion 5 persons who died are namely:
a) Rooma W/o Danveer Singh (Wife of Applicant no.1)
b) Sarvesh W/o Sovinder Singh (Wife of Applicant no.2)
c) Ruksana D/o Jakir Ali (Daughter of Applicant no.3)
d) Shahnaz W/o Sabir Ali (Wife of Applicant no.4)
e) Mona D/o Girish chandra (Daughter of Applicant no.5)."
3. Further plea of the applicant is that as many as eight persons had received injury in that accident.
4. Learned Counsel for the applicant has submitted that by way of this OA, compensation is claimed only in respect of the death which had taken place in the accident and in support of the plea that death took place in the fire accident in an illegally operating fire cracker factory, Learned Counsel for the applicant has placed reliance upon the news item on page 26, post-mortem reports filed as annexure A/2, page 27 onwards and FIR filed as annexure A/8 page 48.
5. He has further submitted that RTI application dated 25.09.2025 was submitted to the UPPCB seeking a copy of the CTO and the reply annexure A-12 was received disclosing that CTO to the unit did not exist. He submits that fire cracker unit was illegally operated by respondent no.4. He has further placed reliance upon the order of the Tribunal dated 11.06.2021 passed in OA No.44/2021 wherein in the similar circumstances Tribunal had awarded a sum of Rs. 20 lakhs to the family members of each deceased in such accident.
6. Issue notice to the respondents.
7. Ms. Priyanka Swami, Learned Counsel accepts notice on behalf of respondents no. 1 and 3 and seeks four weeks' time to file the reply.
8. Applicant is directed to serve a copy of the OA along with enclosures to Learned Counsel for respondents no. 1 and 3 within three days.
9. Applicant is directed to serve the other respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.
10. List on 26.02.2026.

51

51

51

51

51

उक्त के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी महोदया, अमरोहा के पत्र संख्या-1194/ एन-75/जनरल-2025, दिनांक-18.12.2025 के द्वारा प्रकरण में संयुक्त जांच हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियों की टीम का गठन किया गया, (जिसकी प्रति संलग्न है संलग्नक-01), जो कि निम्नवत् है :-

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-सदर, जनपद-अमरोहा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस), सदर, जनपद-अमरोहा।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, अमरोहा।
4. सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग), अमरोहा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

उक्त गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रकरण में जांच/निरीक्षण दिनांक-09.02.2026 को संयुक्त रूप से किया गया। समिति की संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

उप जिलाधिकारी, अमरोहा के पत्र दिनांक-16.02.2026 द्वारा ग्राम-अतरासी कलां, तहसील व जिला-अमरोहा में दिनांक-16.06.2025 को हुए पटाखा फैक्ट्री बिस्फोट में 05 महिलाओं की मौत एवं 8 महिलायें घायल होने तथा उक्त फैक्ट्री तत् समय ग्राम-अतरासी कला के गाटा सं०-341 में संचालित होने के संबंध में सूचित किया गया है, जिसमें बिलाल पुत्र इन्तकाब, सुफियान पुत्र इस्तकाब आदि का नाम सह, खातेहार के रूप में दर्ज है तथा इनके द्वारा ही अपनी भूमि पटाखा फैक्ट्री मालिक सैफ उर रहमान पुत्र कैसर अली, नि० भण्डा पट्टी तह० व जिला-हापुड़ को किराये पर देना बताया गया है। उक्त भूमि अकृषिक घोषित नहीं थी (जिसकी प्रति संलग्न है संलग्नक-02)।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्रम विभाग, अमरोहा की आख्या दिनांक-13.02.2026 के द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक-09.02.2026 को जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम द्वारा पटाखा फैक्ट्री स्थल ग्राम अतरासी खसरा नं०-241 जनपद अमरोहा की स्थलीय जांच की गयी। मौके पर फैक्ट्री बंद पायी गयी एवं किसी भी प्रकार का कार्य होता नहीं पाया गया। उक्त पटाखा फैक्ट्री में दिनांक 16.06.2025 को तीव्र विस्फोट में 04 श्रमिकों की मौके पर मृत्यु हो गयी, तथा 01 और श्रमिक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। देय योग धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	मृतक का नाम, पता, आयु एवं वेतन	आश्रितगण का नाम	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय योग्य धनराशि
01	रूमा पत्नी श्री दानवीर निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि 01.01.1984 से घटना तिथि को 16.06.2025 41 वर्ष	1-श्री दानवीर मृतक रूमा के पति।	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/- $5,497 \times 181.37 = 9,96,991$ (रूपया नौ लाख छियानवे हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र)

2

2

2

2

	लगभग वेतन रू0-10,994 /- प्रतिमाह		
02	शहनवाज पत्नी श्री साबिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि 01.01.1975 से घटना तिथि को 16.06.2025 50 वर्ष लगभग वेतन रू0-10,994 /- प्रतिमाह	1-श्री साबिर अली मृतक शहनवाज के पति।	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497 /- $5,497 \times 153.9 = 8,45,988$ (रूपया आठ लाख पैतालीस हजार नौ सौ अठ्ठासी मात्र)
03	सर्वेश पत्नी श्री सोविन्द्र सिंह, निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि वेतन रू0-10,994 /- प्रतिमाह 01.01.1989 से घटना तिथि को 36 वर्ष लगभग	1-श्री सोविन्द्र मृतक सर्वेश के पति।	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497 /- $5,497 \times 194.64 = 10,69,936$ (रूपया दस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र)
04	रुकसाना पुत्री श्री जाकिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि 01.01.2001 से घटना तिथि को 16.06.2025 50 वर्ष लगभग वेतन रू0-10,994 /- प्रतिमाह	1-श्री किशवरी पत्नी श्री जाकिर मृतक रुकसाना की माता	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497 /- $5,497 \times 218.47 = 12,00,929$ (रूपया वारह लाख नौ सौ उनत्तीस मात्र)
05	सुश्री सोना पुत्री श्री गिरीश चन्द्र, ग्राम भडैया कमरुदीन जिला अमरोहा, उर्फ मौहल्ला-मोतीनगर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु-17.04.2005 से घटना तिथि को 16.06.2025 20 वर्ष लगभग वेतन रू0-10,994 /- प्रतिमाह	1-श्रीमती प्रेमवती पत्नी श्री गिरीश चन्द्र मृतक की माता	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497 /- $5,497 \times 224 = 12,31,328$ (रूपया वारह लाख इकत्तीस हजार तीन सौ अठ्ठाईस मात्र)

उपरोक्त धनराशि आश्रितगणों को देने के लिये न्यायालय कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त, एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र जिला पंचायत परिसर कोर्ड रोड, मुरादाबाद द्वारा सेवायोजक को नोटिस प्रेषित किये जा चुके हैं (जिसकी प्रति संलग्न है संलग्नक-03)।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अमरोहा के पत्र संख्या-एफएस/सीएफओ/2026 (आतिशबाजी)/ दिनांक-12.02.2026 के साथ संलग्न आख्या दिनांक-10.02.2026 के द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 16-06-2025 को ग्राम अतरासी थाना रजबपुर तहसील व जनपद

7 3


अमरोहा में आतिशबाजी विनिर्माण स्थल में हुए अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में दिनांक-09.02.2026 को संयुक्त रूप से जाँच की गयी। उक्त आतिशबाजी विनिर्माण स्थल वर्तमान में बन्द है। उक्त आतिशबाजी लाईसेन्स स्थल श्री सैफ उर रहमान पुत्र श्री कैसर अहमद, निवासी 1248/2 ग्राम भण्डा पट्टी, हापुड थाना व तहसील हापुड जनपद हापुड द्वारा ग्राम अतरासी थाना रजबपुर तहसील व जनपद अमरोहा में संचालित किया जा रहा था, आतिशबाजी लाईसेन्स संख्या: 12/1 व 12/2 पर विनिर्माण क्षमता एक बार में 15 के०जी० एवं विक्रय क्षमता 1100 के०जी० जिलाधिकारी अमरोहा महोदय द्वारा दिनांक-31.03.2027 तक स्वीकृत की गयी थी। उक्त अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण फायर रिपोर्ट में दिया गया था, (जिसकी प्रति संलग्न है संलग्नक-04)।

क्षेत्राधिकारी नगर (पुलिस), जनपद-अमरोहा द्वारा अपनी आख्या दिनांक-17.02.2026 के माध्यम से सूचित किया गया है कि मुकदमा वादी सोविन्द्र पुत्र लाले सिंह निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा की तहरीर बाबत दिनांक 16.06.2025 को अपनी पत्नी सर्वेश के सैफुर रहमान पुत्र केसर अहमद निवासी 1248/02 भंडा पट्टा जिला हापुड की ग्राम अतरासी स्थित पटाका फैक्ट्री में काम करने के दौरान कारखाना मालिक की लापरवाही के कारण विस्फोट होने, जिससे वादी की पत्नी 1. सर्वेश 2. रुमा पत्नी दानवीर निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा 3. रुकसाना पुत्री जाकिर अली 4. शहनाज पत्नी साबिर निवासीगण ग्राम व थाना रजबपुर जनपद अमरोहा की मौके पर ही मृत्यु हो जाने व 1. मौना पत्नी गिरीशचन्द 2. पूजा पुत्री गिरीशचन्द 3. पूजा पत्नी अमित कुमार 4. विशाल पुत्र धर्मसिंह 5. इन्द्रवति पत्नी छोटेलाल निवासीगण मौहल्ला मोतीनगर अमरोहा 6. सोनिया पत्नी ओमप्रकाश 7. पूजा पत्नी राकेश निवीगण ग्राम पपसरा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा 8. नाजरीन पुत्री कमरुद्दीन निवासी मंगूपुरा थाना रजबपुर अमरोहा 9. सलोनी पुत्री रामवतार निवासी ग्राम अतरासी कला थाना रजबपुर जनपद अमरोहा के गम्भीर रूप से घायल हो जाने के सम्बन्ध में दिनांक 17.06.2025 को थाना हाजा पर प्राप्त हुई जिसपर दिनांक 17.06.2025 को ही थाना हाजा पर मु०अ०स० 152/2025 धारा 288/125 बी/106 बीएनएस व 9 बी विस्फोटक अधिनियम बनाम सैफुर रहमान पुत्र केसर अहमद निवासी 1248/02 भंडा पट्टा जिला हापुड पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ०नि० श्री लवनीश कुमार ग्रहण कर सम्पादित की गयी दुर्घटना में मृतकों 1. सर्वेश 2. रुमा 3. रुकसाना 4. शहनाज उपरोक्त के पंचायतनामे की कार्यवाही थाना हाजा पर नियुक्त उ०नि० श्री उमेश कुमार मो०न० 8299130221 द्वारा दिनांक 16.06.2025 को की गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 27.06.2025 को मुकदमा उपरोक्त में धारा 105 बीएनएस की वृद्धि कर अभियुक्त सैफुर रहमान उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त सैफुर रहमान उपरोक्त के आतिशबाजी कारखाने में आतिशबाजी बनाते समय लाइसेंस के नियमों व शर्तों का पालन न करने व लापरवाही के कारण हुये विस्फोट के दृष्टिगत उक्त लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 288/125बी/105/106 बीएनएस व 9बी विस्फोटक अधिनियम के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या 137/25 दिनांक 02.08.2025 को माननीय न्यायालय जनपद अमरोहा प्रेषित किया गया (जिसकी प्रति संलग्न है संलग्नक-05)।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।



8







क्रम सं०	नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री शैलेश कुमार दूबे	उप जिलाधिकारी, तहसील-सदर, जनपद-अमरोहा।	
2	श्री अभिषेक कुमार यादव	क्षेत्राधिकारी (पुलिस), सदर, जनपद-अमरोहा।	
3	श्री अनुराग तोमर	प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, अमरोहा।	
4	मोनिका गौतम	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, अमरोहा।	
5	श्री एस०के० त्रिपाठी	वैज्ञानिक सहायक उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।	

-कार्यालय आवेदः-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन OA No.- 627/2025 Danveer Singh & Ors. Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-04.12.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

1. By this Original Application (OA), applicants have sought compensation for death of their family members in an explosion on 16.06.2025 at an illegal fire cracker factory situated at Gata no.221 Village Atrasi, District Amroha, Uttar Pradesh.
2. The applicant alleges that following five persons had died in the said accident:
"In the said explosion 5 persons who died are namely:
a) Rooma W/o Danveer Singh (Wife of Applicant no.1)
b) Sarvesh W/o Sovinder Singh (Wife of Applicant no.2)
c) Ruksana D/o Jakir Ali (Daughter of Applicant no.3)
d) Shahnaz W/o Sabir Ali (Wife of Applicant no.4)
e) Mona D/o Girish chandra (Daughter of Applicant no.5)."
3. Further plea of the applicant is that as many as eight persons had received injury in that accident.
4. Learned Counsel for the applicant has submitted that by way of this OA, compensation is claimed only in respect of the death which had taken place in the accident and in support of the plea that death took place in the fire accident in an illegally operating fire cracker factory, Learned Counsel for the applicant has placed reliance upon the news item on page 26, post-mortem reports filed as annexure A/2, page 27 onwards and FIR filed as annexure A/8 page 48.
5. He has further submitted that RTI application dated 25.09.2025 was submitted to the UPPCB seeking a copy of the CTO and the reply annexure A-12 was received disclosing that CTO to the unit did not exist. He submits that fire cracker unit was illegally operated by respondent no.4. He has further placed reliance upon the order of the Tribunal dated 11.06.2021 passed in OA No.44/2021 wherein in the similar circumstances Tribunal had awarded a sum of Rs. 20 lakhs to the family members of each deceased in such accident.
6. Issue notice to the respondents.
7. Ms. Priyanka Swami, Learned Counsel accepts notice on behalf of respondents no. 1 and 3 and seeks four weeks' time to file the reply.
8. Applicant is directed to serve a copy of the OA along with enclosures to Learned Counsel for respondents no. 1 and 3 within three days.
9. Applicant is directed to serve the other respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.
10. List on 26.02.2026.

अतः प्रकरण की संयुक्त जांच हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियों की समिति गठित करते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर आख्या अगली नियत सुनवाई के दृष्टिगत संयुक्त जांच/कार्यवाही सम्बन्धी आख्या अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे कि अनुपालन आख्या/reply मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ससमय दाखिल करायी जा सकें।

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-सदर, जनपद-अमरोहा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस), सदर, जनपद-अमरोहा।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, अमरोहा।
4. सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग), अमरोहा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

(निधि गुप्ता/वत्स)
जिलाधिकारी
अमरोहा

कार्यालय जिलाधिकारी, अमरोहा

पत्रांक- 1194/N-75/जनरल-2025

दिनांक- 18-12-2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-सदर, जनपद-अमरोहा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस), सदर, जनपद-अमरोहा।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, अमरोहा।
4. सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग), अमरोहा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

जिलाधिकारी
अमरोहा

Encl
16.02.26
AK-81

महोदय,
रूपया कार्यालय आदेश, दिनांक 16/06/2025 की ग्राम-अतरासी कलां
में पटाखा बनाने वाले परिसर में हुई बिस्फोट के संबंध में संयुक्त जांच
रिपोर्ट के संबंध में राजस्व विभाग से संबंधित जांच आख्या निम्नवत
है -

ग्राम-अतरासी कलां तह० व जिला - अमरोहा में दिनांक 16/6/25
की हुए पटाखा फैक्ट्री बिस्फोट में 05 महिलाओं की मौत हो गई थी 8 महिलाएँ
घायल हुई थी। अतः फैक्ट्री तत् समय ग्राम- अतरासी कलां की गाथा सं-
उपा में संचालित थी, जिसमें निमाल पुत्र इन्तकाल, सुफियान पुत्र रतकाल
आदि का नाम सहकारियों के रूप में दर्ज है तथा इनके द्वारा ही अपनी
भूमि पटाखा फैक्ट्री मालिक सैफुद्दीन रहमान पुत्र कैसर अली निरु प्रोडा
पट्टी तह० व जिला - हापुड की किराये पर देना बताया गया है। अतः भूमि
अवधिक घोषित नहीं थी। जांच आख्या सादर सेवा में घोषित है।

सहायक, जे.प्र.पा.ल. आ.आ.आ.प.सि.ल.

16/02/26
R. Joya

16/02/2026
(अनामिका शुक्ला)
ब०

अतरासी
15.02.26

तहसीलदार
अमरोहा

16/02/26
Sharma

उप जिलाधिकारी
अमरोहा



उद्घरण खतीनी



उद्घरण क्रमांक : 118021202602588



ग्राम क्रमांक : 118821 ग्राम का नाम (परान्त) : अतरासी (अमरोहा) तहसील : अमरोहा जनपद : अमरोहा फसली क्रम : 1329/834 (01 जुलाई, 2021 से 30 अगस्त : 1) खाना संख्या : 68339

धूमि : 1-क/भूमि जो संकमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।


खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (व्यक्तिगत चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जननिधि (अवश्यक है)	न्यायलय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	वर्ष	गाटा (युनिक कोड)	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	हिस्से में	क्षेत्रफल में (हे.)	खातेदार का नाम
1) अमानत अती / जुम्मा / नि. ग्राम 2) उर्वर-नावाड आसु 12 वर्ष / इन्तकाव अती सं० 3) कसमद अती / अती रजा / नि० ग्राम 4) कसमद अती / अती रजा / नि. ग्राम 5) काफिम अती / शौकत अती / नि. ग्राम 6) कुठ नादिद सिददीकी / इन्तकाव अती / नि. ग्राम 7) कुठ निशमा नावाड आसु 8 वर्ष / सिचवान सं० 8) कुठ सिकरा नावाड आसु 5 वर्ष / सिचवान सं० 9) कुठ सिकरा नावाड आसु 5 वर्ष / सिचवान सं० 10) दिजदार / इनाम रजा / नि. ग्राम 11) दिजदार / इनाम रजा / नि. ग्राम	1) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 2) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 3) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 4) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 5) ऑनलाइन उत्तराधिकार /	1360फ 34फ (1180218341000012) 13030	गाटा (युनिक कोड)	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	हिस्से में	क्षेत्रफल में (हे.)	खातेदार का नाम



172) फिरोसत / अली रजा / नि: ग्राम						176) 0.02660	
173) फिरोसत / अली रजा / नि: ग्राम						177) 0.06550	
174) बिलाव / इतकाव अली / नि: ग्राम						178) 0.06580	
175) भूरा / अली रजा / नि: ग्राम						179) 0.04330	
180) भूरे / अली रजा / नि: ग्राम						200) 0.13300	
177) महलाव अली / फकीरा / नि: ग्राम						213) 0.04280	
181) मोह इरफान / शौकत अली / नि: ग्राम						223) 0.02660	
200) मोह रजा / अली नोहम्मद / नि: ग्राम						233) 0.00655	
211) सहत अली / जुमा / नि: ग्राम						249) 0.04430	
222) सारफत अली / अली रजा / नि: ग्राम						253) 0.06430	
223) सारफत हुसेन / अली रजा / नि: ग्राम						256) 0.02460	
224) सहादत अली / जुमा / नि: ग्राम						277) 0.06430	
225) श्रीमती मुखारी खादुन / शौकत अली / नि: ग्राम						283) 0.06580	
226) श्रीमती रूखसाना / इतकाव अली / नि: ग्राम						293) 0.02460	
227) श्रीमती शायरा / इमाम रजा / नि: ग्राम						300) 0.13300	
228) साबित / नसीम अहमद / नि: ग्राम							
229) सुकिकान / इतकाव अली / नि: ग्राम							
300) हाशिम अली / भूरे / नि: ग्राम							

नद नोट 1 कुल क्षेत्रफल- 13030 (हेक्टर) कुल भू-खसरा- 22.90 रपम कुल अंश का क्षेत्रफल - (13030) हेक्टर

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<p>साम्राज्य का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / साम्राज्य का आधार / डिक्टिव हस्ताक्षर नाम / डिक्टिव हस्ताक्षर दिनांक</p>	<p>नाम / पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अंतिम चार अंश) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंश) / पता / कर्मस्थिति</p>	<p>गाटे का खसरा नम्बर / पुनीव कोड</p>	<p>क्षेत्रफल (हे.)</p>	<p>नाम / पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अंतिम चार अंश) अथवा पैन-नं० (6-9 स्थान के अंश) / पता / कर्मस्थिति (अवधारक हे.)</p>	<p>गाटे का खसरा नम्बर / पुनीव कोड</p>	<p>क्षेत्रफल (हे.)</p>



	(अवयव संकेत)				
1) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 20211313700730001650 / 14-09-2021 / वरसत / MUKESH SHARMA / 22-08-2023	1.1) श्रीमति शायर / इमामस्ता / नि. ग्राम (शोध क्षेत्रफल: 0.00000)	34W1180210341000012)1.1)	0.00000	1.1) दिवादा / इमामस्ता / नि.ग्राम	1.1) 0.00000
2) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 20211313700730000534 / 24-02-2021 / वरसत / MUKESH SHARMA / 22-08-2023	2.1) श्रीमति शहाजदी / अली रजा / नि. ग्राम (शोध क्षेत्रफल: 0.00000)		0.00000	2.1) दिवादा / इमामस्ता / नि.ग्राम	1.2) 0.00000
3) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 20251313700730000560 / 18-03-2025 / वरसत / MUSTAQUEEM AHMED / 19-03-2025	3.1) श्रीमति शहाजदी / अली रजा / नि. ग्राम (शोध क्षेत्रफल: 0.00000)		0.00000	2.1) शराफत अली / अली रजा / नि.ग्राम	2.1) 0.00000
4) अना / 1 / 30-10-2025 / दुस्ती (संशोधन से) / CHARU SINGH / 31-10-2025	4.1) सुकियान (शोध क्षेत्रफल: 0.00000)		0.02600	2.2) कयामत अली / अली रजा / नि.ग्राम	2.2) 0.00000
	नवा0आयु 14 वर्ष / इत्काब अली सं0 रुखसाना माता समी / नि.ग्राम (शोध क्षेत्रफल: 0.00000)			2.3) कयामत अली / अली रजा / नि.ग्राम	2.3) 0.00000
	4.2) बिवादा नवा0आयु 17 वर्ष / इत्काब अली सं0 रुखसाना माता समी / नि.ग्राम (शोध क्षेत्रफल: 0.00000)			2.4) भुरे / अली रजा / नि.ग्राम	2.4) 0.00000
				3.1) कयामत अली / अली रजा / नि.ग्राम	3.1) 0.00000
				3.2) किरासत / अली रजा / नि.ग्राम	3.2) 0.00000
				3.3) भुरे / अली रजा / नि.ग्राम	3.3) 0.00000
				3.4) शराफत हुसेन / अली रजा / नि.ग्राम	3.4) 0.00000
				4.1) बिवादा / इत्काब अली / नि.ग्राम	4.1) 0.00000
				4.2) सुकियान / इत्काब अली / नि.ग्राम	4.2) 0.02600



17) भूमि के अन्वय में किमायादिन राजस्व वादा/वार्दी की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

18) अन्वयक/अन्वयक मूलक होने की स्थिति

18.1) अन्वयक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/को/अन्वयक का दिनांक/पनास/आवेदन संख्या/आवेदा/पिता/पति/संरक्षक) :

1) Prathama UP Gramam Bank / 10548 / 31-07-2024 / 250000.00 / 137007302024012110548 / कु0 नाहिद सिददीकी/इत्काब अली, श्रीमति रुखसाना/इत्काब अली, कु0 नाहिद सिददीकी/इत्काब अली, श्रीमति रुखसाना/इत्काब अली, कु0 नाहिद सिददीकी/इत्काब अली, Prathama UP Gramam Bank / 10548 / 31-07-2024 / 990000.00 / 137007302024012210548 / शहादत अली (जुम्मा), शहादत अली (जुम्मा), शहादत अली (जुम्मा)

2) अली (जुम्मा), शहादत अली (जुम्मा), शहादत अली (जुम्मा)

5) Prathama UP Gramin Bank / 10548 / 04-09-2025 / 518000.00 / 137007302025010110548 / मा० रज्जा(अली मा०), मा० रज्जा(अली मा० हम्द)

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अशुद्धि :

- 1) 1429-प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक अतरासी के स्वीकृत दिनांक 05.08.2021 के अन्तर्गत महाताब पुत्र फकीरा ने मु० 540000 रूपये लोन लेकर भूमि बन्धक की है। ह० 04.05.2022 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 05-05-2022)
- 2) 1429-प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक अतरासी के स्वीकृत दिनांक 19.4.2022 के अन्तर्गत महाताब अली पुत्र फकीरा ने मु० 500000 रूप० लोन लेकर भूमि बैंक में बन्धक की है। ह० 20.5.2022 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 23-05-2022)
- 3) 1429-प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक अतरासी के स्वीकृत दिनांक 30.6.2021 के अन्तर्गत श्रीमति मुखारी पत्नी शौकत अली व मा० इरफान पुत्र शौकत अली ने मु० 296000 रूपये लोन लेकर भूमि बैंक में बन्धक की है। ह० 30.6.2022 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 30-06-2022)
- 4) 1430फ-प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक अतरासी के स्वीकृत दिनांक 14.9.2021 के अन्तर्गत हासिम पुत्र भुरे ने मु० 172000 रूप० लोन लेकर भूमि बैंक में बन्धक की है। ह० 29.6.2023 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 30-06-2023)
- 5) 1425फ0 प्रथमा बैंक अतरासी के स्वीकृत दिनांक 21.09.2017 के अन्तर्गत शहादत अली पुत्र जुम्मा ने मु० 3,00,000रूपये लोन लेकर भूमि बैंक में बन्धक की है। ह० 01.12.2017 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)
- 6) 1426- प्रथमा बैंक अतरासी के स्वीकृत दिनांक 5.2.2019 के अन्तर्गत शहादत अली पुत्र जुम्मा ने मु० 400000रूप० लोन लेकर भूमि बन्धक की है। ह० 26.2.2019 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

7) 1426फ0शाखा प्रबन्धक प्रथमा बैंक अतरासी के स्वीकृत दिनांक 23.08.2018 के अन्तर्गत फखरुद्दीन पुत्र सियाजुद्दीन ने मु० 1,37,000 रूपये लोन लेकर भूमि बैंक में बन्धक की है। ह० 26.09.2018 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

8) 1428- प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक अतरासी के स्वीकृत दिनांक 03.09.2020 के अन्तर्गत शहादत अली पुत्र जुम्मा ने मु० 3,42,000 रूप० लोन लेकर भूमि बैंक में बन्धक की है। ह० 19.10.2020 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

9) 1428- प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक अतरासी के स्वीकृत दिनांक 17.08.2020 के अन्तर्गत अमानत अली पुत्र जुम्मा ने मु० 5,50,000 रूप० लोन लेकर भूमि बैंक में बन्धक की है। ह० 07.09.2020 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

10) 1428-प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक अतरासी के स्वीकृत दिनांक के अन्तर्गत अमानत अली पुत्र जुम्मा ने मु० 550000 रूपये लोन लेकर भूमि बैंक में बन्धक की है। ह० 31.10.2020 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

11) अदेश प्रथमा बैंक अतरासी स्वी०दिनांक 1.7.15 को रहत अली पुत्र जुम्मा ने खाता सं० 61, 132, 305, 308, 354, 221 बन्धक कर के 2,19,000 लोन सियाजुद्दीन पुत्र जुम्मा ने मु० 1,00,000रूप० लोन लेकर भूमि बैंक में बन्धक की है। ह० 28.7.2015 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

12) अदेश प्रथमा बैंक स्वी०दिनांक 25.9.2015 को अलीमुद्दीन पुत्र सियाजुद्दीन नि०अतरासी ने खाता सं० 57, 67, 185, 219, 217, 218, 124, 221, 63, 251, 291, 355 प्रथमा भूमि बन्धक कर के 1,46,000रूप० लोन लेकर भूमि बन्धक की है। ह० 20.10.13.5.16 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

13) अदेश मैनेजर प्रथमा बैंक रजतपुर के स्वी०सं०107/26.6.07के अन्तर्गत अमानत अली पुत्र जुम्मा नि. ग्राम ने मु० 1,00,000रूप० लोन लेकर भूमि बन्धक की है। ह० 4.9.07 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

14) अदेश शाखा प्रबन्धक प्रथमा बैंक अतरासी स्वी०दिनांक 26.7.2014 को शमशुद्दीन पुत्र सियाजुद्दीन ने खाता सं० 63, 221, 251, 219, 291, 185, 205 बन्धक कर के 1,46,000रूप० लोन लेकर भूमि बन्धक की है। ह० 20.10.8.6.2015 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

15) अदेश शाखा प्रबन्धक प्रथमा बैंक रजतपुर के स्वीकृत सं० 04/06दिनांक 30.12.06के अन्तर्गत शहादत अली पुत्र जुम्मा नि. ग्राम ने 150000रूप० लोन लेकर भूमि बन्धक की है।



लाअदायगी भूमि बन्धकरहेगी खाता सं0329,301,291,131,56,128 ह021.5.07 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

16) आदेश शाखा प्रबन्धक प्रथमा बैंक रजबपुर के स्वीकृत सं047/106दिनांक29.12.06के अन्तर्गत शहादत अली पुत्र जुम्मा नि. ग्राम ने 50000रु00 लोन लेकर भूमि बन्धक की ह024.4.07 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

17) प्रथमा बैंक अतरासी 1.11.14 को शहादत अली पुत्र जुम्मा ने 2,00,000रु00 लोन लेकर भूमि खाता सं0 61, 132, 70, 308, 221, 354 बन्धक की ह0च0ले0 22.8.15 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

18) प्रथमा बैंक अतरासी के दिनांक 5.11.14 को शहादत अली पुत्र जुम्मा ने 4,02,000रु00 लोन लेकर 61, 132, 308, 221, 354 खाता बन्धक किया ह0च0ले0 22.8.15 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

19) प्रथमा बैंक अतरासी दि0 21.4.14 को महाताब पुत्र फकीरा ने 2,92,000रु00 लोन लेकर खाता सं0 212, 91, 134, 221, 92 बन्धक की ह0च0ले0 22.8.15 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

20) 1416 (टिपणी कालम) प्रथमा बैंक रजबपुर के स्वीकृत संख्या 274/08 के अन्तर्गत शहादत अली पुत्र जुम्मा ने मु070,000रु00 लोन लेकर भूमि बन्धक की है ह02.12.08 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

21) प्रथमा बैंक अतरासी से दि0 28.4.14 को महाताब पुत्र फकीरा ने 2,00,000रु00 लोन लेकर खाता सं0 212, 91, 134, 221 बन्धक की ह0च0ले0 22.8.15 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

22) 1416 (टिपणी कालम) प्रथमा बैंक रजबपुर के स्वीकृत संख्या 80/08के अन्तर्गत शहादत अली पुत्र जुम्मा ने मु02,20,000रु00 लोन लेकर भूमि बन्धक की है ह027.12.08 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

23) 1425-प्रथमा बैंक अतरासी के स्वीकृत दिनांक 22.3.18 के अन्तर्गत शौकत अली पुत्र जुम्मा ने मु0 1,25,000रु00 लोन लेकर भूमि बन्धक की है ह0 24.5.2018 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

24) 1425फ0 प्रथमा बैंक अतरासी के स्वीकृत दिनांक 05.10.2017 के अन्तर्गत महाताब अली पुत्र फकीरा ने मु02,00,000 रूपये लोन लेकर भूमि बैंक में बन्धक की है ह0 05.12.2017 (डिजिटल हस्ताक्षर: MUKESH SHARMA / 31-12-2021)

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1429- कार्यालय राजस्व निरीक्षक क्षेत्र रजबपुर कम्यूटीरीकम आवेदन संख्या 20211313700730001650 अंतर्गत धारा 33(2) राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 14.09.2021 आदेश हुआ कि पुरानी खाता संख्या 322 नई खाता संख्या 339 से मूलक शायरा पत्नी इमामरजा नि0 अतरासी कला के स्थान पर दिलशाद व दिलदार पुत्राण इमाम रजा के नाम वतौर वारिस अंकित हो। ह0 03.03.2022

2) 1430फ- कार्यालय राजस्व निरीक्षक क्षेत्र रजबपुर कम्यूटीरीकृत आवेदन संख्या 20211313700730000534 अंतर्गत धारा 33(2) राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 24.02.2021 आदेश हुआ कि खाता संख्या 339 से मूलक श्रीमति शहाजादी पत्नी अली रजा नि0 अतरासी के स्थान पर शराफत अली व फिरोजता व कार्यालय अली व भूरे पुत्राण इमाम रजा नि0 अतरासी के नाम वतौर वारिस अंकित हो। ह0 13.01.2023

Date Digitally Signed by:

दिनांक/समापनदिनांक: 16-02-2026 11:57:40 वहीतौर: अमरेश


यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा उचित डिजिटल हस्ताक्षर का हस्ताक्षरित है।

मुद्रित/कवी: MUKESH SHARMA तबतीक: अमरेश

मुद्रित दिनांक एवं समय: 16-02-2026 11:59:40

Not Applicable For Online Prints उससंका उद्घरण खतौनी का वैधिकिकरण

https://mpbhujelekh.gov.in/Verbsand पर जाकर अपना QR Code Scann करके किम का सत्यापन है।



दिनांक 09.02.2026 को जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम द्वारा पटाखा फैक्ट्री स्थल ग्राम अतरासी खसरा नं०-241 जानपद अमरोहा की स्थलीय जांच की गयी। मौके पर फैक्ट्री बंद पायी गयी एवं किसी भी प्रकार का कार्य होता नहीं पाया गया। उक्त पटाखा फैक्ट्री में दिनांक 16.06.2025 को तीव्र विस्फोट में 04 श्रमिकों की मौके पर मृत्यु हो गयी, तथा 01 और श्रमिक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

उक्त मृतक श्रमिक एवं उनके आश्रितों का नाम व पता एवं निर्धारित कर्मकार प्रतिकर की देय योग्य धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	मृतक का नाम, पता, आयु एवं वेतन	आश्रितगण का नाम	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय योग्य धनराशि
01	रूमा पत्नी श्री दानवीर निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि 01.01.1984 से घटना तिथि को 16.06.2025 41 वर्ष लगभग वेतन रू०-10,994/-प्रतिमाह	1-श्री दानवीर मृतक रूमा के पति।	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/- $5,497 \times 181.37 = 9,96,991$ (रूपया नौ लाख छियानवे हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र)
02	शहनवाज पत्नी श्री साबिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि 01.01.1975 से घटना तिथि को 16.06.2025 50 वर्ष लगभग वेतन रू०-10,994/-प्रतिमाह	1-श्री साबिर अली मृतक शहनवाज के पति।	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/- $5,497 \times 153.9 = 8,45,988$ (रूपया आठ लाख पैतालीस हजार नौ सौ अठ्ठासी मात्र)
03	सर्वेश पत्नी श्री सोविन्द्र सिंह, निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि वेतन रू०-10,994/-प्रतिमाह 01.01.1989 से घटना तिथि को 36 वर्ष लगभग	1-श्री सोविन्द्र मृतक सर्वेश के पति।	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/- $5,497 \times 194.64 = 10,69,936$ (रूपया दस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र)
04	रूकसाना पुत्री श्री जाकिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि 01.01.2001 से घटना तिथि को 16.06.2025 50 वर्ष लगभग वेतन रू०-10,994/-प्रतिमाह	1-श्री-किशवरी पत्नी श्री जाकिर मृतक रूकसाना की माता	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/- $5,497 \times 218.47 = 12,00,929$ (रूपया बारह लाख नौ सौ उनत्तीस मात्र)
05	सुश्री सोना पुत्री श्री गिरीश चन्द्र, ग्राम मडैया कमरुदीन जिला अमरोहा, उर्फ मौहल्ला-मोतीगनर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु-17.04.2005 से घटना तिथि को 16.06.2025 20 वर्ष लगभग वेतन रू०-10,994/-प्रतिमाह	1-श्रीमती प्रेमवती पत्नी श्री गिरीश चन्द्र मृतक की माता	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/- $5,497 \times 224 = 12,31,328$ (रूपया बारह लाख इकत्तीस हजार तीन सौ अट्ठाईस मात्र)

उपरोक्त धनराशि आश्रितगणों को देने के लिये न्यायालय: कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त, एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र जिला पंचायत प्ररिसर कोर्ड रोड, मुरादाबाद द्वारा सेवायोजक को नोटिस प्रेषित किये जा चुके हैं।

संलग्न-यथोक्त।

Digitally signed by

MONIKA GAUTAM

Date: 13-02-2026

15:51:47

(मोनिका गौतम)

श्रम प्रवर्तन अधिकारी,
अमरोहा।

न्यायालय : कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद
जिला पंचायत परिसर कोर्ट रोड, मुरादाबाद।

पत्र संख्या 3966-68/मु0-फैटल एक्सी0/2025

दिनांक-20/01/25

सेवायोजक/स्वामी
श्री कैसर अहमद पुत्र श्री मौ0 यासीन
निवासी 1248/2, भण्डा पदटी तहसील व जिला हापुड।
भैसर्स-पटाखा फेक्ट्री, ग्राम अतरासी खसरा नं0-241,
जिला अमरोहा। (दूरभाष नम्बर-9759221620)

नोटिस अण्डर सैक्शन 10 ए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923

आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना की सूचना संबंध में जिला प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा के पत्रांक 676-78 दिनांक 16.06.2025 द्वारा आपके उक्त प्रतिष्ठान पटाखा फेक्ट्री में हुई दुर्घटना की स्थलीय जांच में आपके अधीन/कार्य नियोजन में 04 कर्मचारियों की मौके पर मृत्यु हो गई से अवगत कराया गया है। तथा पत्र सं0-701 दिनांक 19.06.2025 द्वारा मृतक एवं उनके आश्रितों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि उक्त मृतक सभी कर्मचारी अकुशल थे। अभिलेखीय साक्ष्य में मृतक श्रमिक रूमा पत्नी श्री दानवीर सिंह, ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा की जन्म तिथि 01.01.1984 होने मृतक की दुर्घटना दिनांक 16.06.2025 को उसकी आयु 41 वर्ष लगभग उल्लेखित होती है। अतः मृतक रूमा की आयु 41 वर्ष क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार पदानुरूप न्यूनतम वेतन 10.994/- रूपया प्रतिमाह निर्धारित है।

इस आयु वर्ग का अधिनियम में प्रयोज्य गुणांक-181.37 एवं मृत्यु की दशा में अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) (क) के अनुक्रम में वेतन रूपया 10,994/- का 50 प्रतिशत की कटौती कर अंकन 5,497/-रू0 तदनुसार आयु 41 वर्ष का सुसंगत गुणांक से संगणना करने पर $5497 \times 181.37 = 9,96,991/-$ (रूपये नौ लाख छियानवे हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र) क्षतिपूर्ति अवधारित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मृतक कर्मचारी रूमा पत्नी श्री दानवीर सिंह को देय क्षतिपूर्ति रू0 = 9,96,991/- (रूपये नौ लाख छियानवे हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के पद नाम से 30 दिन में जमा करना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि क्षतिपूर्ति धनराशि आदेशित समय के अन्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

(दीप्तिमान भट्ट)

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक- उक्तवत्।
प्रतिलिपि :

- 1-श्री दानवीर सिंह (मृतक कर्मचारी रूमा का पति) निवासी- ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा।



कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

न्यायालय : कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद
जिला पंचायत परिसर कोर्ट रोड, मुरादाबाद।

पत्र संख्या 3963-65/मु0-फैटल एक्सो/2025

दिनांक- 20/6/25

सेवायोजक/स्वामी
श्री कैसर अहमद पुत्र श्री मौ0 यासीन
निवासी 1248/2, भण्डा पट्टी तहसील व जिला हापुड।
मैसर्स-पटाखा फैक्ट्री, ग्राम अतरासी खसरा नं0-241,
जिला अमरोहा। (दूरभाष नम्बर-9759221620)

नोटिस अण्डर सैक्शन 10 ए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923

आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना की सूचना संबंध में जिला प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा के पत्रांक 676-78 दिनांक 16.06.2025 द्वारा आपके उक्त प्रतिष्ठान पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की स्थलीय जाँच में आपके अधीन/कार्य नियोजन में 04 कर्मचारियों की मौके पर मृत्यु हो गई से अवगत कराया गया है। तथा पत्र सं0-701 दिनांक 19.06.2025 द्वारा मृतक एवं उनके आश्रितों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि उक्त मृतक सभी कर्मचारी अकृशल थे। अभिलेखीय साक्ष्य में मृतक शहनाज पत्नी साबिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा की जन्म तिथि 01.01.1975 होने मृतक की दुर्घटना दिनांक 16.06.2025 को उसकी आयु 50 वर्ष लगभग उल्लेखित होती है। अतः मृतक शहनाज की आयु 50 वर्ष क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार पदानुरूप न्यूनतम वेतन 10,994/- रूपया प्रतिमाह निर्धारित है।

इस आयु वर्ग का अधिनियम में प्रयोज्य गुणांक-153.9 एवं मृत्यु की दशा में अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) (क) के अनुक्रम में वेतन रूपया 10,994/- का 50 प्रतिशत की कटौती कर अंकन 5,497/-रु0 तदनुसार आयु 50 वर्ष का सुसंगत गुणांक से संगणना करने पर $5497 \times 153.9 = 8,45,988/-$ (रूपये आठ लाख पैंतालीस हजार नौ सौ अठ्ठासी मात्र) क्षतिपूर्ति अवधारित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मृतक कर्मचारी शहनाज पत्नी श्री साबिर अली को देय क्षतिपूर्ति रु0 8,45,988/- (रूपये आठ लाख पैंतालीस हजार नौ सौ अठ्ठासी मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के पद नाम से 30 दिन में जमा करना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि क्षतिपूर्ति धनराशि आदेशित समय के अन्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

(दीप्तिमान मद्द)

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त

एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक- उक्तवत्।

प्रतिलिपि :

1-श्री साबिर अली (मृतक कर्मचारी शहनाज का पति) निवासी- ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा।



कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त,

एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

न्यायालय : कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद
जिला पंचायत परिसर कोर्ट रोड, मुरादाबाद।

पत्र संख्या 3969-71/मु0-फैटल एक्सी0/2025

दिनांक- 20/6/25

सेवायोजक/स्वामी
श्री कैसर अहमद पुत्र श्री मौ0 यासीन
निवासी 1248/2, भण्डा पट्टी तहसील व जिला हापुड।
मैसर्स-पटाखा फैक्ट्री, ग्राम अतरासी खसरा नं0-241,
जिला अमरोहा। (दस्तावेज नम्बर-9759221620)

नोटिस अण्डर सैक्शन 10 ए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923

आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना की सूचना संबंध में जिला प्रमारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा के पत्रांक 676-78 दिनांक 18.06.2025 द्वारा आपके उक्त प्रतिष्ठान पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की स्थलीय जांच में आपके अधीन/कार्य नियोजन में 04 कर्मचारियों की मौके पर मृत्यु हो गई से अवगत कराया गया है। तथा पत्र सं0-701 दिनांक 19.06.2025 द्वारा मृतक एवं उनके आश्रितों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि उक्त मृतक सभी कर्मचारी अकुशल थे। अभिलेखीय साक्ष्य में मृतक श्रमिक सर्वेश पत्नी सोविन्द्र सिंह, ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा की जन्म तिथि 01.01.1989 होने मृतक की दुर्घटना दिनांक 16.06.2025 को उसकी आयु 36 वर्ष लगभग उल्लेखित होती है। अतः मृतक सर्वेश की आयु 36 वर्ष क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार पदानुरूप न्यूनतम वेतन 10,994/- रूपया प्रतिमाह निर्धारित है।

इस आयु वर्ग का अधिनियम में प्रयोज्य गुणांक-194.64 एवं मृत्यु की दशा में अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) (क) के अनुक्रम में वेतन रूपया 10,994/- का 50 प्रतिशत की कटौती कर अंकन 5,497/-रु0 अनुसार आयु 36 वर्ष का सुसंगत गुणांक से संगणना करने पर $5497 \times 194.64 = 10,69,936/-$ (रूपये दस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) क्षतिपूर्ति अवधारित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मृतक कर्मचारी सर्वेश पत्नी सोविन्द्र सिंह को देय क्षतिपूर्ति रु0 = 10,69,936/- (रूपये दस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के पद नाम से 30 दिन में जमा करना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि क्षतिपूर्ति धनराशि आदेशित समय के अन्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

(दीप्तिमान मद्दट)

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक- उक्तवत्।
प्रतिलिपि :

- 1- श्री सोविन्द्र सिंह (मृतक कर्मचारी सर्वेश का पति) निवासी- ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कर्मचारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा।



कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त.
एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

न्यायालय : कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद
जिला पंचायत परिसर कोर्ट रोड, मुरादाबाद।

पत्र संख्या 3972-74 मु0-फैटल एकसी0/2025

दिनांक- 20/6/25

सेवायोजक/स्वामी
श्री कैसर अहमद पुत्र श्री मौ0 यासीन
निवासी 1248/2, भण्डा पट्टी तहसील व जिला हापुड।
मैसर्स-पटाखा फैक्ट्री, ग्राम अतरासी खसरा नं0-241,
जिला अमरोहा। (दूरभाष नम्बर-9759221620)

नोटिस अण्डर सैवशन 10 ए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923

आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना की सूचना संबंध में जिला प्रमारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा के पत्रांक 676-78 दिनांक 16.06.2025 द्वारा आपके उक्त प्रतिष्ठान पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की स्थलीय जांच में आपके अधीन/कार्य नियोजन में 04 कर्मचारियों की मौके पर मृत्यु हो गई से अवगत कराया गया है। तथा पत्र सं0-701 दिनांक 19.06.2025 द्वारा मृतक एवं उनके आश्रितों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि उक्त मृतक सभी कर्मचारी अकुशल थे। अभिलेखीय साक्ष्य में मृतक श्रमिक रूकसाना पुत्री जाकिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा की जन्म तिथि 01.01.2001 होने मृतक की दुर्घटना दिनांक 16.06.2025 को उसकी आयु 24 वर्ष लगभग उल्लेखित होती है। अतः मृतक रूकसाना की आयु 24 वर्ष क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार पदानुरूप न्यूनतम वेतन 10,994/- रूपया प्रतिमाह निर्धारित है।

इस आयु वर्ग का अधिनियम में प्रयोज्य गुणांक-218.47 एवं मृत्यु की दशा में अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) (क) के अनुक्रम में वेतन रूपया 10,994/- का 50 प्रतिशत की कटौती कर अंकन 5,497/-रु0 तदनुसार आयु 24 वर्ष का सुसंगत गुणांक से संगणना करने पर $5497 \times 218.47 = 12,00,929/-$ (रूपये वारह लाख नौ सौ उनत्तीस मात्र) क्षतिपूर्ति अवधारित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मृतक कर्मचारी रूकसाना पुत्री जाकिर अली को देय क्षतिपूर्ति रु0 = 12,00,929/- (रूपये वारह लाख नौ सौ उनत्तीस मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के पद नाम से 30 दिन में जमा करना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि क्षतिपूर्ति धनराशि आदेशित समय के अन्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

(दीप्तिमान भट्ट)

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक- उक्तवत्।

प्रतिलिपि :

- 1-श्रीमती किशवरी पत्नी जाकिर अली (मृतक कर्मचारी रूकसाना की माता) निवासी- ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।



कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्र संख्या 4681-83/गु0-फैटल एमरोहा/2020

दिनांक-11/7/20

सेवायोजक/स्वामी

श्री कैरार अहमद पुत्र श्री मौ0 थारीन
निवासी 1248/2, गण्डा पट्टी तारलील व जिला एापुर।
भैरवा-पटाखा फैक्ट्री, ग्राम अतारासी खरारा नं0-241,
जिला अमरोहा। (दरगाघ नम्बर-0759221020)

नोटिस अण्डर सेक्शन 10 ए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923

आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना की सूचना संबंध में जिला प्रमारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा के पत्रांक 876-78 दिनांक 16.08.2025 द्वारा आपके उक्त प्रतिष्ठान पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की स्थलीय जांच में आपके अधीन/कार्य नियोजन में 04 कर्मचारियों की मौके पर मृत्यु एवं 09 कर्मचारियों की के घायल होने से अवगत कराया गया है। तथा पुनः पत्र सं0-784 दिनांक 10.07.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल इलाज के दौरान सुश्री मोना पुत्री श्री गिरीश चन्द्र की दिनांक 21.08.2025 को मृत्यु हो गई है। मृतक मोना की माता जी श्रीमती प्रेमवती पत्नी गिरीश चन्द्र द्वारा दिनांक 10.04.2025 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923 के अन्तर्गत मुआवजा दिलाये जाने का अनुरोध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं आश्रितों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि उक्त मृतक कर्मचारी अकुराल थी। अमिलेखीय साक्ष्य में मृतक श्रमिक सुश्री मोना पुत्री श्री गिरीश चन्द्र, ग्राम मढैया कमरुद्दीन जिला अमरोहा की जन्म तिथि 17.04.2005 होने मृतक की दुर्घटना दिनांक 16.08.2025 को उसकी आयु 20 वर्ष लगभग उल्लेखित होती है। अतः मृतक मोना की आयु 20 वर्ष क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार पदानुरूप न्यूनतम वेतन 10,994/- रुपया प्रतिमाह निर्धारित है।

इस आयु वर्ग का अधिनियम में प्रयोज्य गुणांक-224.00 एवं मृत्यु की दशा में अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) (क) के अनुक्रम में वेतन रुपया 10,994/- का 50 प्रतिशत की कटौती कर अंकन 5,497/-रु0 उदनुसार आयु 24 वर्ष का सुसंगत गुणांक से संगणना करने पर $5497 \times 224.00 = 12,31,328/-$ (रुपये वारह लाख इकत्तीस हजार तीन सौ अट्ठाईस मात्र) क्षतिपूर्ति अवधारित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मृतक कर्मचारी सुश्री मोना पुत्री श्री गिरीश चन्द्र को देय क्षतिपूर्ति रु0 = 12,31,328/- (रुपये वारह लाख इकत्तीस हजार तीन सौ अट्ठाईस मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के पद नाम से 30 दिन में जमा करना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि क्षतिपूर्ति धनराशि आदेशित समय के अन्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

(अजीत कुमार कन्नौजिया)

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त

एवं सहायक श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

सुप
आर 14/07/2025

मूलांकन संख्या व दिनांक- उक्तवत्।
प्रतिलिपि :

- 1-श्रीमती प्रेमवती पत्नी गिरीश चन्द्र (मृतक कर्मचारी सुश्री मोना की माता) निवासी- मौ0 मोतीनगर तहसील व जिला अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-प्रमारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा।

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमरोहा।

पत्रांक: एफएस/सीएफओ/2026(आतिशबाजी)/

दिनांक: फरवरी 11, 2026

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी
जनपद-अमरोहा।

महोदया,

कृपया आपके आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके द्वारा दिनांक: 16-06-2025 को ग्राम अतरासी थाना रजबपुर तहसील व जनपद अमरोहा में आतिशबाजी विनिर्माण स्थल में हुए अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन केन्द्र अमरोहा द्वारा दिनांक: 09.02.2026 को संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। जिसकी निरीक्षण आख्या पत्र संख्या: एफएस/एफएसओ/2026(आतिशबाजी) दिनांक: फरवरी 10, 2026 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक: प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अमरोहा की जाँच आख्या।

Oh.
12/02/2026
(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद- अमरोहा।

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी अमरोहा जनपद-अमरोहा।

पत्रांक: एफएस/एफएसओ/2026(आतिशबाजी)/

दिनांक: फरवरी 10, 2026

सेवा में,

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-अमरोहा।**

सन्दर्भ: जिलाधिकारी अमरोहा महोदय के आदेश एवं आपके पृष्ठांकन आदेश दिनांक: 24.12.2025 के अनुपालन में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके द्वारा दिनांक: 16-06-2025 को ग्राम अतरासी थाना रजबपुर तहसील व जनपद अमरोहा में आतिशबाजी विनिर्माण स्थल में हुए अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि दिनांक: 16-06-2025 को ग्राम अतरासी थाना रजबपुर तहसील व जनपद अमरोहा में आतिशबाजी विनिर्माण स्थल में हुए अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में दिनांक: 09.02.2026 को संयुक्त रूप से जाँच की गयी। उक्त आतिशबाजी विनिर्माण स्थल वर्तमान में बन्द है। उक्त आतिशबाजी लाईसेन्स स्थल श्री सैफ उर रहमान पुत्र श्री कैसर अहमद, निवासी 1248/2 ग्राम भण्डा पट्टी, हापुड थाना व तहसील हापुड जनपद हापुड द्वारा ग्राम अतरासी थाना रजबपुर तहसील व जनपद अमरोहा में संचालित किया जा रहा था, आतिशबाजी लाईसेन्स संख्या: $\frac{12}{1}$ व $\frac{12}{2}$ पर विनिर्माण क्षमता एक बार में 15 के0जी0 एवं विक्रय क्षमता 1100 के0जी0 जिलाधिकारी अमरोहा महोदय द्वारा दिनांक: 31.03.2027 तक स्वीकृत की गयी थी। उक्त अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण फायर रिपोर्ट में दिया गया था। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: फायर रिपोर्ट की छायाप्रति।

Am
For N/A
Chi.
1404 2026
efo

10/02/2026
(अनुराग तोमर)

प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन केन्द्र अमरोहा

अग्नि रिपोर्ट का प्रपत्र

1-वर्तमान दिनांक-

2-अग्नि रिपोर्ट संख्या- 11

3-अग्निशमन केन्द्र का परिचालन अधिकारित- FSSO श्री अनुराग तोमर

4-से प्राप्त जानकारी- X

5-दूरभाष करने वाले का नाम- अनस

6-दूरभाष करने वाले का फोन नं- 7302363809

7-घटना स्थल का पूरा पता- ग्राम अलमारी कला थाना राजवपुर जनपद अमरोहा

8-दूरभाष प्राप्त होने का दिनांक- 16-6-2025

9-दूरभाष प्राप्त होने का समय- 11-33

10-अग्निशमन केन्द्र से प्रस्थान का समय/11-34 दूरी-17 किमी0

11-अग्नि स्थल पहुँचने का समय- 12-00

12-मृत्यु (मृत्युओं) का विवरण- X

13-दूरभाष की प्रकृति- CUG फोन

14-अग्नि स्थल से निकलने की तिथि- 16-6-2025

15-अग्नि स्थल से निकलने का समय- 15-30 वापसी- 16-10

16-अधिभोग का प्रकार-

17-अन्य के मामले में अधिभोग का विवरण-

18-अग्नि की श्रेणी- ए स्लाश फायर

19-अग्नि लगने का सम्भावित कारण-

20-भवन का प्रकार- कमला भवन

21-अन्य के मामले में भवन का विवरण-

22-प्रभावित क्षेत्र का विवरण-

23-चोट लगने का विवरण-

24-मृत्यु (मृत्युओं) और बचाए गये जीवन का विवरण-

25-हानि, बचायी गयी सम्पत्ति का विवरण- हानि सम्पत्ति-

/बचत सम्पत्ति-

26-घटना की टिप्पणी एवं उचित विवरण-

श्रीमान जी, अग्नि कांड की सूचना मिलने के बाद आप
 मौजूद स्थिति घटना स्थल को जाकर स्थिति का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान किया
 ग्राम अलमारी कला थाना राजवपुर जनपद अमरोहा में जाकर देखा कि ग्राम
 अलमारी कला में गांव के किनारे पर स्थित एक इमारत में अग्नि फैली हुई
 अग्नि के आलेखवादी वृत्तों के गोदाम में विस्फोट हुआ था जिससे
 काफी क्षति हुई मजदूर कुछ क्षतिग्रस्त हुए कुछ मृत हुए थे मौके पर
 श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान मुख्य

रिपोर्ट थाना रजबपुर जनपद अमरोहा

सेवा मे

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय

जनपद अमरोहा

द्वारा:- उचित माध्यम ।

विषय:- थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 152/25 धारा 288/125बी/105/106 बीएनएस व 9बी विस्फोटक अधिनियम बनाम सैफुर रहमान के सम्बन्ध मे प्रगति आख्या उपलब्ध कराने विषयक ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मुकदमा वादी सोविन्द्र पुत्र लाले सिंह निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा की तहरीर बाबत दिनांक 16.06.2025 को अपनी पत्नी सर्वेश के सैफुर रहमान पुत्र केसर अहमद निवासी 1248/02 भंडा पट्टा जिला हापुड की ग्राम अतरासी स्थित पटाका फैक्ट्री मे काम करने के दौरान कारखाना मालिक की लापरवाही के कारण विस्फोट होने जिससे वादी की पत्नी 1.सर्वेश 2.रूमा पत्नी दानवीर निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा 3.रुकसाना पुत्री जाकिर अली 4.शहनाज पत्नी साबिर निवासीगण ग्राम व थाना रजबपुर जनपद अमरोहा की मौके पर ही मृत्यु हो जाने व 1. मौना पत्नी गिरीशचन्द 2.पूजा पुत्री गिरीशचन्द 3.पूजा पत्नी अमित कुमार 4.विशाल पुत्र धर्मसिंह 5.इन्द्रवति पत्नी छोटेलाल निवासीगण मौहल्ला मोतीनगर अमरोहा 6.सोनिया पत्नी ओमप्रकाश 7.पूजा पत्नी राकेश निवीगण ग्राम पपसरा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा 8.नाजरीन पुत्री कमरुद्दीन निवासी मंगूपुरा थाना रजबपुर अमरोहा 9.सलोनी पुत्री रामवतार निवासी ग्राम अतरासी कला थाना रजबपुर जनपद अमरोहा के गम्भीर रूप से घायल हो जाने के सम्बन्ध मे दिनांक 17.06.2025 को थाना हाजा पर प्राप्त हुई जिसपर दिनांक 17.06.2025 को ही थाना हाजा पर मु0अ0स0 152/2025 धारा 288/125बी/106 बीएनएस व 9बी विस्फोटक अधिनियम बनाम सैफुर रहमान पुत्र केसर अहमद निवासी 1248/02 भंडा पट्टा जिला हापुड पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री लवनीश कुमार ग्रहण कर सम्पादित की गयी दुर्घटना मे मृतकों 1.सर्वेश 2.रूमा 3.रुकसाना 4.शहनाज उपरोक्त के पंचायतनामे की कार्यवाही थाना हाजा पर नियुक्त उ0नि0 श्री उमेश कुमार मो0न0 8299130221 द्वारा दिनांक 16.06.2025 को की गयी साक्ष्य संकलन के आधार पर

दिनांक 27.06.2025 को मुकदमा उपरोक्त मे धारा 105 बीएनएस की वृद्धि कर अभियुक्त सैफुर रहमान उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त सैफुर रहमान उपरोक्त के आतिशबाजी कारखाने मे आतिशबाजी बनाते समय लाइसेंस के नियमों व शर्तों का पालन न करने व लापरवाही के कारण हुये विस्फोट के दृष्टिगत उक्त लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल मे लायी गयी। मुकदमा उपरोक्त मे साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 288/125बी/105/106 बीएनएस व 9बी विस्फोटक अधिनियम के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या 137/25 दिनांक 02.08.2025 को माननीय न्यायालय जनपद अमरोहा प्रेषित किया गया।

श्रीमान जी रिपोर्ट सादर सेवा मे प्रेषित है।

महोदय,

कृपया अग्रसारित हैं।

17.02.26
 क्षेत्राधिकारी नगर
 जनपद-अमरोहा

17/02/26

कोमल तोमर

(थाना प्रभारी)

थाना रजबपुर

जनपद अमरोहा

श्रम विभाग

दिनांक 09.02.2026 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम द्वारा पटाखा फैक्ट्री स्थल ग्राम अतरासी खसरा नं०-241 जानपव अमरोहा की स्थलीय जांच की गयी। मौके पर फैक्ट्री बंद पायी गयी एवं किसी भी प्रकार का कार्य होता नहीं पाया गया। उक्त पटाखा फैक्ट्री में दिनांक 16.06.2025 को तीव्र विस्फोट में 04 श्रमिकों की मौके पर मृत्यु हो गयी, तथा 01 और श्रमिक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

उक्त मृतक श्रमिक एवं उनके आश्रितों का नाम व पता एवं निर्धारित कर्मकार प्रतिकर की देय योग्य धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	मृतक का नाम, पता, आयु एवं वेतन	आश्रितगण का नाम	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय योग्य धनराशि
01	रूमा पत्नी श्री दानवीर निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि 01.01.1984 से घटना तिथि को 16.06.2025 41 वर्ष लगभग वेतन ₹0-10,994/-प्रतिमाह	1-श्री दानवीर मृतक रूमा के पति।	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/- $5,497 \times 181.37 = 9,96,991$ (रूपया नौ लाख छियानवे हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र)
02	शहनवाज पत्नी श्री साबिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि 01.01.1975 से घटना तिथि को 16.06.2025 50 वर्ष लगभग वेतन ₹0-10,994/-प्रतिमाह	1-श्री साबिर अली मृतक शहनवाज के पति।	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/- $5,497 \times 153.9 = 8,45,988$ (रूपया आठ लाख पैतालीस हजार नौ सौ अट्ठासी मात्र)
03	सर्वेश पत्नी श्री सोविन्द्र सिंह, निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि वेतन ₹0-10,994/-प्रतिमाह 01.01.1989 से घटना तिथि को 36 वर्ष लगभग	1-श्री सोविन्द्र मृतक सर्वेश के पति।	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/- $5,497 \times 194.64 = 10,69,936$ (रूपया दस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र)
04	रुकसाना पुत्री श्री जाकिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि 01.01.2001 से घटना तिथि को 16.06.2025 50 वर्ष लगभग वेतन ₹0-10,994/-प्रतिमाह	1-श्री-किशवरी पत्नी श्री जाकिर मृतक रुकसाना की माता	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/- $5,497 \times 218.47 = 12,00,929$ (रूपया बारह लाख नौ सौ उनत्तीस मात्र)
05	सुश्री सौना पुत्री श्री गिरीश चन्द्र, ग्राम मडैया कमरुदीन जिला अमरोहा, उर्फ मोहल्ला-मोतीगनर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु-17.04.2005 से घटना तिथि को 16.06.2025 20 वर्ष लगभग वेतन ₹0-10,994/-प्रतिमाह	1-श्रीमती प्रेमवती पत्नी श्री गिरीश चन्द्र मृतक की माता।	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/- $5,497 \times 224 = 12,31,328$ (रूपया बारह लाख इकत्तीस हजार तीन सौ अट्ठाईस मात्र)

उपरोक्त धनराशि आश्रितगणों को देने के लिये न्यायालय: कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त, एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र जिला पंचायत प्ररिसर कोर्ड रोड, मुरादाबाद द्वारा सेवायोजक को नोटिस प्रेषित किये जा चुके हैं।
संलग्न-यथोक्त।

Digitally signed by
MONIKA GAUTAM
Date: 13-02-2026
15:51:47

(मोनिका गौतम)
श्रम प्रवर्तन अधिकारी,
अमरोहा।

न्यायालय : कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद
जिला पंचायत परिसर कोर्ट रोड, मुरादाबाद।

पत्र संख्या 9966-68/मु0-फैटल एक्सी0/2025

दिनांक- 20/01/25

सेवायोजक/स्वामी
श्री कैसर अहमद पुत्र श्री मौ0 यासीन
निवासी 1248/2, भण्डा पदटी तहसील व जिला हापुड।
मैसर्स-पटाखा फैक्ट्री, ग्राम अतरासी खसरा नं0-241,
जिला अमरोहा। (दस्तावेज नम्बर-9759221620)

नोटिस अपडर सैक्शन 10 ए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923

आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना की सूचना संबंध में जिला प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा के पत्रांक 676-78 दिनांक 16.06.2025 द्वारा आपके उपर प्रतिष्ठान पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की स्थलीय जांच में आपके अधीन/कार्य नियोजन में 04 कर्मचारियों की मौके पर मृत्यु हो गई से अवगत कराया गया है। तथा पत्र सं0-701 दिनांक 19.06.2025 द्वारा मृतक एवं उनके आश्रितों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि उक्त मृतक सभी कर्मचारी अकुशल थे। अभिलेखीय साक्ष्य में मृतक श्रमिक रूमा पत्नी श्री दानवीर सिंह, ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा की जन्म तिथि 01.01.1984 होने मृतक की दुर्घटना दिनांक 16.06.2025 को उसकी आयु 41 वर्ष लगभग उल्लेखित होती है। अतः मृतक रूमा की आयु 41 वर्ष क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार पदानुरूप न्यूनतम वेतन 10,994/- रूपया प्रतिमाह निर्धारित है।

इस आयु वर्ग का अधिनियम में प्रयोज्य गुणांक-181.37 एवं मृत्यु की दशा में अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) (क) के अनुक्रम में वेतन रूपया 10,994/- का 50 प्रतिशत की कटौती कर अंकन 5,497/-रु0 तदनुसार आयु 41 वर्ष का सुसंगत गुणांक से संगणना करने पर $5497 \times 181.37 = 9,96,991/-$ (रूपये नौ लाख छियानवे हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र) क्षतिपूर्ति अवधारित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मृतक कर्मचारी रूमा पत्नी श्री दानवीर सिंह को देय क्षतिपूर्ति रु0 = 9,96,991/- (रूपये नौ लाख छियानवे हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के पद नाम से 30 दिन में जमा करना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि क्षतिपूर्ति धनराशि आदेशित समय के अन्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

(दीप्तिमान भट्ट)

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक- उक्तवत्।

प्रतिलिपि :

- 1-श्री दानवीर सिंह (मृतक कर्मचारी रूमा का पति) निवासी- ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा।



कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

न्यायालय : कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद
जिला पंचायत परिसर कोर्ट रोड, मुरादाबाद।

पत्र संख्या 3963-65/मु0-फैटल एक्सी0/2025

दिनांक- 20/6/25

सेवायोजक/स्वामी
श्री कैसर अहमद पुत्र श्री मौ0 यासीन
निवासी 1248/2, भण्डा पट्टी तहसील व जिला हापुड।
मैसर्स-पटाखा फैक्ट्री, ग्राम अतरासी खसरा नं0-241,
जिला अमरोहा। (दूरभाष नम्बर-9759221620)

नोटिस अण्डर सैक्शन 10 ए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923

आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना की सूचना संबंध में जिला प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा के पत्रांक 676-78 दिनांक 16.06.2025 द्वारा आपके उक्त प्रतिष्ठान पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की स्थलीय जांच में आपके अधीन/कार्य नियोजन में 04 कर्मचारियों की मौके पर मृत्यु हो गई से अवगत कराया गया है। तथा पत्र सं0-701 दिनांक 19.06.2025 द्वारा मृतक एवं उनके आश्रितों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि उक्त मृतक सभी कर्मचारी अकुशल थे। अभिलेखीय साक्ष्य में मृतक श्रमिक शहनाज पत्नी साबिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा की जन्म तिथि 01.01.1975 होने मृतक की दुर्घटना दिनांक 16.06.2025 को उसकी आयु 50 वर्ष लगभग उल्लेखित होती है। अतः मृतक शहनाज की आयु 50 वर्ष क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार पदानुरूप न्यूनतम वेतन 10,994/- रूपया प्रतिमाह निर्धारित है।

इस आयु वर्ग का अधिनियम में प्रयोज्य गुणांक-153.9 एवं मृत्यु की दशा में अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) (क) के अनुक्रम में वेतन रूपया 10,994/- का 50 प्रतिशत की कटौती कर अंकन 5,497/-रु0 तदनुसार आयु 50 वर्ष का सुसंगत गुणांक से संगणना करने पर $5497 \times 153.9 = 8,45,988/-$ (रूपये आठ लाख पैंतालीस हजार नौ सौ अठ्ठासी मात्र) क्षतिपूर्ति अवधारित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मृतक कर्मचारी शहनाज पत्नी श्री साबिर अली को देय क्षतिपूर्ति रु0 8,45,988/- (रूपये आठ लाख पैंतालीस हजार नौ सौ अठ्ठासी मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के पद नाम से 30 दिन में जमा करना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि क्षतिपूर्ति धनराशि आदेशित समय के अन्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

(दीप्तिमान मट्ट)

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक- उक्तवत्।
प्रतिलिपि :

- 1-श्री साबिर अली (मृतक कर्मचारी शहनाज का पति) निवासी- ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-प्रभारी श्रम-प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा।



कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त,
एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

न्यायालय : कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद
जिला पंचायत परिसर कोर्ट रोड, मुरादाबाद।

पत्र संख्या 3969-71/मु0-फैटल एक्सी0/2025

दिनांक- 20/6/25

सेवायोजक/स्वामी
श्री कैसर अहमद पुत्र श्री मौ0 यासीन
निवासी 1248/2, भण्डा पट्टी तहसील व जिला हापुड।
मैसर्स-पटाखा फैक्ट्री, ग्राम अतरासी खसरा नं0-241,
जिला अमरोहा। (दस्तावेज नम्बर-9759221620)

नोटिस अण्डर सैक्शन 10 ए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923

आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना की सूचना संबंध में जिला प्रमारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा के पत्रांक 676-78 दिनांक 16.06.2025 द्वारा आपके उक्त प्रतिष्ठान पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की स्थलीय जांच में आपके अधीन/कार्य नियोजन में 04 कर्मचारियों की मौके पर मृत्यु हो गई से अवगत कराया गया है। तथा पत्र सं0-701 दिनांक 19.06.2025 द्वारा मृतक एवं उनके आश्रितों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि उक्त मृतक सभी कर्मचारी अकुराल थे। अभिलेखीय साक्ष्य में मृतक श्रमिक सर्वेश पत्नी सोविन्द्र सिंह, ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा की जन्म तिथि 01.01.1989 होने मृतक की दुर्घटना दिनांक 16.06.2025 को उसकी आयु 36 वर्ष लगभग उल्लेखित होती है। अतः मृतक सर्वेश की आयु 36 वर्ष क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार पदानुरूप न्यूनतम वेतन 10,994/- रूपया प्रतिमाह निर्धारित है।

इस आयु वर्ग का अधिनियम में प्रयोज्य गुणांक-194.64 एवं मृत्यु की दशा में अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) (क) के अनुक्रम में वेतन रूपया 10,994/- का 50 प्रतिशत की कटौती कर अंकन 5,497/-रु0 सदानुसार आयु 36 वर्ष का सुसंगत गुणांक से संगणना करने पर $5497 \times 194.64 = 10,69,936/-$ (रूपये दस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) क्षतिपूर्ति अवधारित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मृतक कर्मचारी सर्वेश पत्नी सोविन्द्र सिंह को देय क्षतिपूर्ति रु0 = 10,69,936/- (रूपये दस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के पद नाम से 30 दिन में जमा करना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि क्षतिपूर्ति धनराशि आदेशित समय के अन्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

(दीप्तिमान भट्ट)

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक- उक्तवत्।

प्रतिलिपि :

- 1-श्री सोविन्द्र सिंह (मृतक कर्मचारी सर्वेश का पति) निवासी- ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-श्री कैसर अहमद पुत्र श्री मौ0 यासीन अमरोहा।



कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

न्यायालय : कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद
जिला पंचायत परिसर कोर्ट रोड, मुरादाबाद।

पत्र संख्या 3972-74 मु0-फैटल एक्सी0/2025

दिनांक- 20/6/25

सेवायोजक/स्वामी
श्री कैसर अहमद पुत्र श्री मौ0 यासीन
निवासी 1248/2, भण्डा पट्टी तहसील व जिला हापुड।
मैसर्स-पटाखा फैक्ट्री, ग्राम अतरासी खसरा नं0-241,
जिला अमरोहा। (दस्तावेज नम्बर-9759221620)

नोटिस अण्डर सैक्शन 10 ए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923

आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना की सूचना संबंध में जिला प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा के पत्रांक 676-78 दिनांक 16.06.2025 द्वारा आपके उक्त प्रतिष्ठान पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की स्थलीय जांच में आपके अधीन/कार्य नियोजन में 04 कर्मचारियों की मौके पर मृत्यु हो गई से अवगत कराया गया है। तथा पत्र सं0-701 दिनांक 19.06.2025 द्वारा मृतक एवं उनके आश्रितों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि उक्त मृतक सभी कर्मचारी अकुशल थे। अभिलेखीय साक्ष्य में मृतक श्रमिक रूकसाना पुत्री जाकिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा की जन्म तिथि 01.01.2001 होने मृतक की दुर्घटना दिनांक 16.06.2025 को उसकी आयु 24 वर्ष लगभग उल्लेखित होती है। अतः मृतक रूकसाना की आयु 24 वर्ष क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार पदानुरूप न्यूनतम वेतन 10,994/- रूपया प्रतिमाह निर्धारित है।

इस आयु वर्ग का अधिनियम में प्रयोज्य गुणांक-218.47 एवं मृत्यु की दशा में अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) (क) के अनुक्रम में वेतन रूपया 10,994/- का 50 प्रतिशत की कटौती कर अंकन 5,497/-रु0 तदनुसार आयु 24 वर्ष का सुसंगत गुणांक से संगणना करने पर $5497 \times 218.47 = 12,00,929/-$ (रूपये वारह लाख नौ सौ उनत्तीस मात्र) क्षतिपूर्ति अवधारित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मृतक कर्मचारी रूकसाना पुत्री जाकिर अली को देय क्षतिपूर्ति रु0 = 12,00,929/- (रूपये वारह लाख नौ सौ उनत्तीस मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के पद नाम से 30 दिन में जमा करना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि क्षतिपूर्ति धनराशि आदेशित समय के अन्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

(दीप्तिमान मट्ट)

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक- उक्तवत्।

प्रतिलिपि :

- 1-श्रीमती किशवरी पत्नी जाकिर अली (मृतक कर्मचारी रूकसाना की माता) निवासी- ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।



कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

न्यायालय : कर्मचारी प्रतिकार आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद
जिला पंचायत परिसर कोर्ट रोड, मुरादाबाद।

पत्र संख्या 4681-83/गु-फैटल एमसी/2025

दिनांक-11/7/25

सेवायोजक/स्वागी

श्री कैरार अहमद पुत्र श्री गौ० थारीन
निवासी 1248/2, गण्डा पट्टी तहसील व जिला हापुर।
भैरवा-पटाखा फैक्ट्री, ग्राम अतारारी खरारा नं०-241,
जिला अमरोहा। (दस्तावेज नम्बर-0759221020)

नोटिस अप्ण्डर सैक्शन 10 ए कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम, 1923

आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना की सूचना संबंध में जिला प्रमारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा के पत्रांक 876-78 दिनांक 18.08.2025 द्वारा आपके उक्त प्रतिष्ठान पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की स्थलीय जांच में आपके अधीन/कार्य नियोजन में 04 कर्मचारियों की मौके पर मृत्यु एवं 09 कर्मचारियों की के घायल होने से अवगत कराया गया है। तथा पुनः पत्र सं०-784 दिनांक 10.07.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल इलाज के दौरान सुश्री मोना पुत्री श्री गिरीश चन्द्र की दिनांक 21.08.2025 को मृत्यु हो गई है। मृतक मोना की माता जी श्रीमती प्रेमवती पत्नी गिरीश चन्द्र द्वारा दिनांक 10.04.2025 कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम-1923 के अन्तर्गत मुआवजा दिलाये जाने का अनुरोध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं आश्रितों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि उक्त मृतक कर्मचारी अकुराल थी। अमिलेखीय साक्ष्य में मृतक श्रमिक सुश्री मोना पुत्री श्री गिरीश चन्द्र, ग्राम मढैया कमरुद्दीन जिला अमरोहा की जन्म तिथि 17.04.2005 होने मृतक की दुर्घटना दिनांक 18.08.2025 को उसकी आयु 20 वर्ष लगभग उल्लेखित होती है। अतः मृतक मोना की आयु 20 वर्ष क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार पदानुरूप न्यूनतम वेतन 10,994/- रुपया प्रतिमाह निर्धारित है।

इस आयु वर्ग का अधिनियम में प्रयोज्य गुणांक-224.00 एवं मृत्यु की दशा में अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) (क) के अनुक्रम में वेतन रुपया 10,994/- का 50 प्रतिशत की कटौती कर अंकन 5,497/-रु० उदनुसार आयु 24 वर्ष का सुसंगत गुणांक से संगणना करने पर $5497 \times 224.00 = 12,31,328/-$ (रुपये वारह लाख इकत्तीस हजार तीन सौ अठ्ठाईस मात्र) क्षतिपूर्ति अवधारित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मृतक कर्मचारी सुश्री मोना पुत्री श्री गिरीश चन्द्र को देय क्षतिपूर्ति रु० = 12,31,328/- (रुपये वारह लाख इकत्तीस हजार तीन सौ अठ्ठाईस मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कर्मचारी प्रतिकार आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के पद नाम से 30 दिन में जमा करना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि क्षतिपूर्ति धनराशि आदेशित समय के अन्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

(अजीत कुमार कन्नौजिया)

कर्मचारी प्रतिकार आयुक्त

एवं सहायक श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

प्रत्यक्ष
शाख

14/07/2025

पृष्ठांक संख्या व दिनांक- उक्तवत्।

प्रतिलिपि :

- 1-श्रीमती प्रेमवती पत्नी गिरीश चन्द्र (मृतक कर्मचारी सुश्री मोना की माता) निवासी- मौ० मोतीनगर तहसील व जिला अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-प्रमारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा।

कर्मचारी प्रतिकार आयुक्त

एवं सहायक आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

5/10/25
12.02.26
Akash

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमरोहा।

पत्रांक: एफएस/सीएफओ/2026(आतिशबाजी)/

दिनांक: फरवरी 11, 2026

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी

जनपद-अमरोहा।

महोदया,

कृपया आपके आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके द्वारा दिनांक: 16-06-2025 को ग्राम अतरासी थाना रजबपुर तहसील व जनपद अमरोहा में आतिशबाजी विनिर्माण स्थल में हुए अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन केन्द्र अमरोहा द्वारा दिनांक: 09.02.2026 को संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। जिसकी निरीक्षण आख्या पत्र संख्या: एफएस/एफएसओ/2026(आतिशबाजी) दिनांक: फरवरी 10, 2026 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक: प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अमरोहा की जाँच आख्या।

Oh
21/02/2026
(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद- अमरोहा।

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी अमरोहा जनपद-अमरोहा।

पत्रांक: एफएस/एफएसओ/2026(आतिशबाजी)/

दिनांक: फरवरी 10, 2026

सेवा में,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-अमरोहा।

सन्दर्भ: जिलाधिकारी अमरोहा महोदय के आदेश एवं आपके पृष्ठांकन आदेश दिनांक: 24.12.2025 के अनुपालन में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके द्वारा दिनांक: 16-06-2025 को ग्राम अतरासी थाना रजबपुर तहसील व जनपद अमरोहा में आतिशबाजी विनिर्माण स्थल में हुए अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि दिनांक: 16-06-2025 को ग्राम अतरासी थाना रजबपुर तहसील व जनपद अमरोहा में आतिशबाजी विनिर्माण स्थल में हुए अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में दिनांक: 09.02.2026 को संयुक्त रूप से जाँच की गयी। उक्त आतिशबाजी विनिर्माण स्थल वर्तमान में बन्द है। उक्त आतिशबाजी लाईसेन्स स्थल श्री सेफ उर रहमान पुत्र श्री कैसर अहमद, निवासी 1248/2 ग्राम भण्डा पट्टी, हापुड थाना व तहसील हापुड जनपद हापुड द्वारा ग्राम अतरासी थाना रजबपुर तहसील व जनपद अमरोहा में संचालित किया जा रहा था, आतिशबाजी लाईसेन्स संख्या: $\frac{12}{1}$ व $\frac{12}{2}$ पर विनिर्माण क्षमता एक बार में 15 के0जी0 एवं विक्रय क्षमता 1100 के0जी0 जिलाधिकारी अमरोहा महोदय द्वारा दिनांक: 31.03.2027 तक स्वीकृत की गयी थी। उक्त अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण फायर रिपोर्ट में दिया गया था। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: फायर रिपोर्ट की छायाप्रति।

AM
for N/A
Chi
1404 2026
efo

10/02/2026
(अनुराग तोमर)

प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन केन्द्र अमरोहा

अग्नि शमन अधिकारी महोदय द्वारा अग्न अल्प अधिकारी को भेजा गया।
 काम को का एम्बुलेंस द्वारा सरकारी अस्पताल भेजा गया।
 विस्फोट होने वाले स्थल पर काम शुरू है अधिकारी उच्च
 अधिकारियों के आदेश से जारी जाला भेजा। मौके पर केन्द्र
 पुलिस अधिकारियों द्वारा विस्फोट के मुहल लोगों के साथ इस
 प्रका के बारे में

- 1- सर्वेक्ष पत्नी लोखंड सिंह निं. ग्राम बपलस अमरपुर अमरपुर
- 2- रूमा पत्नी अनवर निं. ग्राम बपलस अमरपुर अमरपुर
- 3- कलसना पत्नी अमिका अनी निं. ग्राम बपलस अमरपुर अमरपुर
- 4- शाहनाज पत्नी लखी अनी निं. ग्राम बपलस अमरपुर अमरपुर

विस्फोट से मोदराय श्री लखी अनी ग्राम या लखी अनी के
 देवा आतिमवाजी का सामान भी लखी अनी के ग्राम। बाद लखी अनी
 अग्नि शमन लखी अनी के ग्रामों डिप्टी अग्नि अधिकारियों के आदेश
 से कामों लखी अनी के ग्रामों से इस गजालों का अमरपुर अमरपुर
 स्थान अमरपुर अमरपुर अमरपुर

संख्या :- 4550 श्री अनिल कुमार सिंह 4550 श्री कमलेश कुमार सिंह अमरपुर 4550
 श्री अनुराग कुमार (अमरपुर) अमरपुर अमरपुर अमरपुर अमरपुर अमरपुर
 अमरपुर, लखी अनी, अमरपुर, अमरपुर, अमरपुर अमरपुर, अमरपुर अमरपुर, अमरपुर
 वारं - UP2246/0426, UP2246/0205, UP32F6/3222, UP236/0092-09FE
 TAFE MFE ISURM
 UP62A6/0260 कोलंबी, UP326/9618।

रिपोर्ट सेवा के अधिकारी
 30/6/25

(प्रतिवेदन)
 अ.क.
 21/01/26
 (अनिल कुमार सिंह)
 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी,
 अमरपुर अमरपुर

30/06/2025
 (अनुराग लोमर)
 प्रभारी अग्नि शमन अधिकारी
 फायर स्टेशन, जयपुर
 पाना 2- अमरपुर

रिपोर्ट थाना रजबपुर जनपद अमरोहा

सेवा मे

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जनपद अमरोहा

द्वारा:- उचित माध्यम ।

विषय:- थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 152/25 धारा 288/125बी/105/106 बीएनएस व 9बी विस्फोटक अधिनियम बनाम सैफुर रहमान के सम्बन्ध मे प्रगति आख्या उपलब्ध कराने विषयक ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मुकदमा वादी सोविन्द्र पुत्र लाले सिंह निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा की तहरीर बाबत दिनांक 16.06.2025 को अपनी पत्नी सर्वेश के सैफुर रहमान पुत्र केसर अहमद निवासी 1248/02 भंडा पट्टा जिला हापुड की ग्राम अतरासी स्थित पटाका फैक्ट्री मे काम करने के दौरान कारखाना मालिक की लापरवाही के कारण विस्फोट होने जिससे वादी की पत्नी 1.सर्वेश 2.रूमा पत्नी दानवीर निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा 3.रूकसाना पुत्री जाकिर अली 4.शहनाज पत्नी साबिर निवासीगण ग्राम व थाना रजबपुर जनपद अमरोहा की मौके पर ही मृत्यु हो जाने व 1. मौना पत्नी गिरीशचन्द 2.पूजा पुत्री गिरीशचन्द 3.पूजा पत्नी अमित कुमार 4.विशाल पुत्र धर्मसिंह 5.इन्द्रवति पत्नी छोटेलाल निवासीगण मौहल्ला मोतीनगर अमरोहा 6.सोनिया पत्नी ओमप्रकाश 7.पूजा पत्नी राकेश निवीगण ग्राम पपसरा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा 8.नाजरीन पुत्री कमरुद्दीन निवासी मंगूपुरा थाना रजबपुर अमरोहा 9.सलोनी पुत्री रामवतार निवासी ग्राम अतरासी कला थाना रजबपुर जनपद अमरोहा के गम्भीर रूप से घायल हो जाने के सम्बन्ध मे दिनांक 17.06.2025 को थाना हाजा पर प्राप्त हुई जिसपर दिनांक 17.06.2025 को ही थाना हाजा पर मु0अ0स0 152/2025 धारा 288/125बी/106 बीएनएस व 9बी विस्फोटक अधिनियम बनाम सैफुर रहमान पुत्र केसर अहमद निवासी 1248/02 भंडा पट्टा जिला हापुड पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री लवनीश कुमार ग्रहण कर सम्पादित की गयी दुर्घटना मे मृतकों 1.सर्वेश 2.रूमा 3.रूकसाना 4.शहनाज उपरोक्त के पंचायतनामे की कार्यवाही थाना हाजा पर नियुक्त उ0नि0 श्री उमेश कुमार मो0न0 8299130221 द्वारा दिनांक 16.06.2025 को की गयी साक्ष्य संकलन के आधार पर

दिनांक 27.06.2025 को मुकदमा उपरोक्त मे धारा 105 बीएनएस की वृद्धि कर अभियुक्त सैफुर रहमान उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त सैफुर रहमान उपरोक्त के आतिशबाजी कारखाने मे आतिशबाजी बनाते समय लाइसेंस के नियमों व शर्तों का पालन न करने व लापरवाही के कारण हुये विस्फोट के दृष्टिगत उक्त लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल मे लायी गयी। मुकदमा उपरोक्त मे साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 288/125बी/105/106 बीएनएस व 9बी विस्फोटक अधिनियम के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या 137/25 दिनांक 02.08.2025 को माननीय न्यायालय जनपद अमरोहा प्रेषित किया गया।

श्रीमान जी रिपोर्ट सादर सेवा मे प्रेषित है।

महोदय,
कृपया अग्रसारित हैं।
17.02.26
क्षेत्राधिकारी नगर
जनपद-अमरोहा

17/02/26
कोमल तोमर
(थाना प्रभारी)
थाना रजबपुर
जनपद अमरोहा